

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3 (ख) (के-321/90) अलेसे-11/14606-611

दिनांक :- 29/7/13

कार्यालय आदेश

श्री कालूराम पोरवाल, (लिंक नं. 4675) हाल पदस्थापित कार्यालय अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सा संघ, जे.एल.एन.चिकित्सालय, अजमेर जिनकी जन्म तिथि 09.01.1956 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति 07.01.1980 है, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2013 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2013 मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कालूराम पोरवाल, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

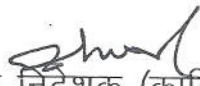

निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3 (ख) (के-321/90) अलेसे-11/14606-611

दिनांक :- 29/7/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर
3. अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, जे.एल.एन.चिकित्सालय, अजमेर
4. श्री कालूराम पोरवाल, लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सा संघ, जे.एल.एन.चिकित्सालय, अजमेर (राज0)
5. निजी सहायक निदेशक महोदय
6. उपनिदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं रिकार्ड पूर्ति हेतु।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन शीट/वरिष्ठता सीट
8. निजी/गार्ड फाईल


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)